झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद
Jharkhand State Paramedical Council
रिम्स चिकित्सक आवास परिसर, बरियातु, राँची–834009, झारखण्ड, भारत
RIMS Doctors' Colony Campus, Bariatu, Ranchi-834009, Jharkhand, India
Web.- www.jharkhandstateparamedicalcouncil.com E-mail: jspcranchi@gmail.com Tele-Fax:–6513139309
(Constituted by the Department of Health, Medical Education & family Welfare, Government of Jharkhand vide Notification no- 7(A)/Paramed.-11-09/09-356(7A)Ranchi, Dated 17.9.2010)

डॉ॰ चन्द्र किशोर शाही
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड सह
अध्यक्ष
Dr. Chandra Kishore Shahi
Director in Chief,
Health Services, Jharkhand cum
Chairman

प्रो॰डॉ॰ डी के सिन्हा
शल्य विभाग, रिम्स, राँची सह
कार्यकारी निदेशक एवं सदस्य–सचिव
Prof. Dr. D K Sinha
Surgery Dept. RIMS,
Ranchi cum
Executive Director & Member Secretary

डॉ॰ एम॰ दीपक लकड़ा
चक्षु रोग विभाग, रिम्स, राँची सह
निबंधक
Dr. M. Deepak Lakra
Dept. of Ophthalmology
RIMS, Ranchi cum
Registrar

डॉ॰ राजीव रंजन
ऐनाटॉमी विभाग, रिम्स राँची सह
परीक्षा नियंत्रक
Dr. Rajiv Ranjan
Dept. of Anatomy,
RIMS, Ranchi cum
Examination Controller

सं॰सं॰–पारा॰मेडि॰/मान्यता–06/2021...145

प्रेषक,

सदस्य सचिव सह कार्यकारी निदेशक
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्, राँची।

सेवा में,

सचिव
सुन्दरलाल मेमोरियल वेलफेयर एडुकेशनल सोसाइटी,
लोउर हटिया, झंडा चौक, राँची 834003.

राँची, दिनांक: 06/06/2025

विषयः–पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके संस्थान द्वारा विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रस्तावित Tupudana Institute of Paramedical Sciences, Patel Nagar, Hatia, Ranchi का गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा दिनांक 26/04/2025 को आवेदित पाठ्यक्रमों का भौतिक निरीक्षण किया गया। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार आपके संस्थान को झारखण्ड पारामेडिकल/पाराडेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारामेडिकल परिषद् गठन नियमावली–2010 की कण्डिका–15 से 25 के आलोक में निम्न पाठ्यक्रमों की मान्यता शर्तो के साथ तत्काल प्रभाव से दी जाती है:–

क्रम सं॰	पारामेडिकल पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
i.	**Diploma in Medical Laboratory Technician**	**40**
ii.	**Diploma in X-Ray/Radioimaging Tech.**	**40**
iii.	**Certificate in Dresser Course**	**50**

शर्तेः–

1- झारखण्डराज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची के द्वारा इस संस्थान की मान्यता जारी रखने हेतु प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जायेगा एवं संस्थान के अनुरूप पाठ्यक्रमों एवं नामांकन क्षमता को बढ़ाया/घटाया जायेगा। निरीक्षण हेतु विहित शुल्क संस्थान द्वारा परिषद् को प्रतिवर्ष देय होगा।

2- आप उक्त पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के सीटों की संख्या झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्, राँची, विनियमावली 081 /झा॰रा॰पा॰प॰,राँची, दि॰ 25. 03.2014 के अनुसार छात्र/छात्राओं का प्रवेश एवं "फी" ले सकेंगे।

3- आप प्रतिवर्ष पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रमवार छात्रों के नामांकन की पूर्ण विवरणी नामांकन पूर्ण होने के पश्चात् एक माह के अंदर झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची को संसूचित करेंगे। प्रबंधन सीटों पर लिये गये छात्र/छात्राओं एवं मुक्त सीटों पर जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बोर्ड द्वारा भेजे गये छात्र/छात्राओं की सूची प्रतिवर्ष नामाकंन समाप्ति के 1 महीने के अन्दर झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद, राँची को भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा छात्र/छात्राओं को परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

4. अपने संस्थान अन्तर्गत सभी बडे मशीन / उपकरणों पर पंचींग मशीन से संस्थान का नाम एक माह के अन्दर खुदवाकर कांउन्सिल को सूचित करेंगे।

5. इनके मान्यता पर झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद् के शासी परिषद् की बैठक दिनांक 28/05/2025 की कार्यवाही कण्डिका 02 में स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

06/6/25

(प्रो॰डॉ॰डी॰के॰सिन्हा)
सदस्य सचिव सह कार्यकारी निदेशक
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची।

06/06/25